"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 फरवरी 2006—माघ 19, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2006

क्रमांक 1115/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29-1-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 10 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2005 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 48-ख का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 48-ख की उपधारा (1) में शब्द "छः माह" के स्थान पर शब्द "यथासंभव शीघ्र" प्रतिस्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2006

क्रमांक 1115/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 10 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2006)

THE CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2005

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Sixth year of the republic of India as follows :—

Short title and Commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2005.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 48-B. 2. In Sub-section (1) of section 48-B of The Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) for the words "six month" the words "as soon as possible" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री; छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.